हर इंसान-एक समान　　एक राष्ट्र-एक जान　　मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website : www.samtaandolan.co.in　　Email : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)　**माननीय श्री अशोक कुमार सिंह** संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)　**माननीय श्री भागीरथ शर्मा** संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव, मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक ५७५२२　　　दिनांक : 23.06.2020

मुख्यमंत्री कार्यालय
23 JUN 2020
सम्बन्धित अधिकारी Home

श्रीमान अशोक गहलोत साहिब,
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषयः– जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करने वाले श्री रवि प्रकाश मेहरडा (आई.पी.एस.), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स, जयपुर के विरूद्ध सख्त विभागीय एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

विनय पूर्वक निवेदन है कि हम आपका ध्यान श्री रवि प्रकाश मेहरडा (आई.पी.एस.), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सिविल राइट्स, जयपुर द्वारा दिनांक 29.05.2020 को जारी अविधिक परिपत्र क्र. प–1(21) सीबी/सीआरसी/परिपत्र/1821–63 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। **परिपत्र की प्रति अनुलग्नक–एक के रूप में संलग्न है।** श्री मेहरडा द्वारा जारी यह परिपत्र पूरी तरह अविधिक है; न्यायपालिका की अवमानना करने वाला; प्रदेश में जातिगत विद्वेष फैलाने वाला है; प्रदेश की निर्वाचित सरकार को अविधिक/जातिवादी/कमजोर/कायर साबित करने वाला है; तथा श्री मेहरडा की राजनैतिक महत्वकांक्षाओं व राजनैतिक ब्लैकमेलिंग की मानसिकताओं को उजागर करने वाला है। श्री मेहरडा द्वारा जारी उपरोक्त परिपत्र दिनांक 29.05.2020 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन **हर हाल में अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए निम्न लिखित अविधिक निर्देश दिये गये हैं :–**

1. श्री मेहरडा ने एट्रोसिटी एक्ट के अधीन हर हाल में अभियुक्त की गिरफ्तारी को अनिवार्य बताया है जबकि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41(1)(बी) में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के प्रकरण में (अपील संख्या 1277/2014) स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि **सात वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में अभियुक्त को सामान्यतः गिरफ्तार नहीं किया जावे।** यदि गिरफ्तार करना जरूरी हो तो भी दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41(1)(बी) में उल्लेखित शर्तों की विश्वसनीय प्रमाणों सहित पालना करने के बाद ही गिरफ्तार किया जावें। मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घण्टों में अभियुक्त को प्रस्तुत करते वक्त इन प्रमाणों के आधार पर धारा 41(1)(बी) की शर्तों की पालना युक्तियुक्त होने पर ही मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी को अनुमोदित कर सकेगा अन्यथा नहीं।

   इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एट्रोसिटी की झूठी एफ.आई.आर के अधीन किसी अभियुक्त को किसी भी सूरत में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि एफ.आई.आर सही है तो भी अभियुक्त केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जबकि :–

   (अ) अभियुक्त द्वारा **सात वर्ष से अधिक की सजा वाला अपराध** किया गया हो, अथवा,

   (ब) अन्वेषण अधिकारी ने गिरफ्तारी को जरूरी बताने वाले कारणों को लिख दिया हो तथा सीआरपीसी की **धारा 41(1)(बी) में अंकित शर्तों की पालना प्रमाण सहित** कर दी हो।

   आपकी जानकारी के लिए उपरोक्त अर्नेश कुमार के निर्णय के जरूरी पैराग्राफ अनुलग्नक–दो में उल्लेखित किये गये हैं।

(लगातार—– 2)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक (2) दिनांक :

2. श्री मेहरडा द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के अधीन दर्ज एफ.आई.आर. में अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ/अधिकार किसी भी सूरत में नहीं होना बताया गया है, सीआरपीसी की धारा 438 के प्रावधानों का एट्रोसिटी के मामलों में लागू नहीं होना बताया गया है। **श्री मेहरडा द्वारा दुराशय पूर्वक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्णयों में दिये गये बाध्यकारी निर्देशों को छिपाया गया है, अनदेखा किया गया है** :-

(i) डा0 सुभाष काशीनाथ विरूद्ध महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य (2018) 6-एससीसी-454 के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 20.03.2018 के पैरा 83(।।) के निर्देश,

(ii) उक्त प्रकरण की रिव्यु पिटीशन (सीआरएल) नम्बर 228/2018 भारत सरकार बनाम महाराष्ट्र सरकार के निर्णय दिनांक 01.10.2019 के पैरा-54, 57 एवं 67 के निर्देश,

(iii) पृथ्वीराज चौहान विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य (रीट पेटिशन (सी)1015/2018 में निर्णय दिनांक 10.02.2020 के पैरा संख्या 8, 10 व 11 के **निर्देशों को छिपाया है, तथा इनके विपरीत प्रभाव वाले निर्देश जारी किये हैं।**

उपरोक्त निर्णयों के सन्दर्भित पैराज आपके ताजा संदर्भ के लिए अनुलग्नक-दो में अंकित किये गये है।

3. इस एट्रोसिटी एक्ट की धारा 18ए, 20, 15 (क)(3) एवं सीआरपीसी की धारा 5 का उल्लेख करते हुये श्री मेहरडा द्वारा निर्देशित किया गया है कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 41(1)(बी) सहित इस संहिता का कोई भी प्रावधान एट्रोसिटी एक्ट पर लागू नहीं होता। श्री मेहरडा के ये निर्देश दुर्भाग्यपूर्ण हैं और प्रकटतः अविधिक हैं, असंवैधानिक हैं। एट्रोसिटी एक्ट की धारा 2(1)(बी), 2(1)(एफ), 9(1)(बी), 9(3) 17(2) और यहाँ तक कि स्वयं धारा 18(ए) में भी स्पष्ट उल्लेख है कि दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधान एट्रोसिटी एक्ट पर लागू होंगे।

4. श्री मेहरडा द्वारा दुराशय पूर्वक सीआरपीसी की धारा 41(ए) को भी बिना किसी आधार के ही एट्रोसिटी एक्ट पर लागू नहीं होना बताया गया है जबकि स्वयं धारा 18(ए) में ही दण्ड प्रकिया संहिता की प्रकिया अपनाने का उल्लेख किया गया है।

5. श्री मेहरडा ने जो जातिगत आधार पर पद का दुरूपयोग करते हुये परिपत्र दिनांक 29.05.2020 जारी किया है वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराधा शाखा जयपुर द्वारा दिनांक 29.04.2020 को जारी परिपत्र क. व-15(ख)(23) राजकाज-02922/विधि/2014/3820-90 में दिये गये निर्देशों के विपरीत है। **परिपत्र की प्रति अनुलग्नक-तीन** के रूप में संलग्न है। अपराधा शाखा ने यह परिपत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के प्रकरण में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है। अपराध शाखा के इस परिपत्र की पालना सुनिश्चित होने से प्रदेश में पुलिस प्रशासन दुरूस्त होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित भ्रष्टाचार आदि सभी नकारात्मक बुराइयों पर लगाम लगेगी, राज्य सरकार की छवि न्यायप्रिय एवं समतावादी सरकार के रूप में उभरेगी। इसके विपरीत श्री मेहरडा द्वारा जारी परिपत्र जातिगत वैमनस्य बढाने वाला है, भ्रष्टाचार बढाने वाला है, ब्लैक मेलिंग बढाने वाला है, राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने वाला है, मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व को कमजोर व लाचार दर्शाने वाला है।

(लगातार -- 3)

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक दिनांक :

(3)

इतने उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा जातिगत आधार पर पद का दुरूपयोग करके ऐसे झूठे, आधारहीन तर्कों के द्वारा सीआरपीसी को असम्बद्ध व प्रभावहीन बना कर यह प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री/गृहमंत्री उनका कुछ नहीं बिगाड सकता, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय या कानून का राज आदि किसी का भी भय उन्हें खुलेआम अविधिक काम करने से नहीं रोक सकता। प्रकटतः श्री मेहरडा का उपरोक्त कृत्य जातिगत आधार पर पद व प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग है। न्यायपालिका की अवमानना है। संसद की अवमानना है। भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराध है।

अतः उपरोक्तानुसार विधिक, न्यायिक एवं तथ्यात्मक स्थिति आपके समक्ष रखने के पश्चात हमारी प्रार्थना है कि :-

1. श्री मेहरडा द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प-1(21) सीबी/सीआरसी/परिपत्र/1821-63 दिनांक 29.05.2020 को तत्काल वापिस लिया जावे।
2. श्री रवि प्रकाश मेहरडा के विरूद्ध सख्त विभागीय कार्यवाही करते हुये उपयुक्त दण्ड दिया जावे।
3. एक स्वतंत्र न्यायिक जांच बिठाकर श्री मेहरडा द्वारा अभी तक किये गये सभी अविधिक कार्यों की जांच करवाकर कार्यवाही की जावे।

त्वरित एवं सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में अग्रिम धन्यवाद। सादर,

भवदीय

अनुलग्नकः- उपरोक्तानुसार

पाराशर नारायण

प्रतिलिपीः- सभी माननीय विधायक गण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पाराशर नारायण

Scanned with CamScanner